

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अर्जन निदेशालय)

## अधिघोषणा

सं०..... डी० एल० ए० समस्तीपुर

दिनांक.....

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-दरियापुर पतैली, परगना-सरैसा, राजस्व थाना-समस्तीपुर, थाना नं०-228/2, पुलिस थाना-उजियारपुर, अंचल-उजियारपुर, जिला-समस्तीपुर अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रस्तावित 220/132/33 के० वी० ग्रीड उपकेन्द्र (सब-स्टेशन) निर्माण के लिए पहुँच पथ हेतु सरकारी खर्च पर भूमि का ग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा घोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम-दरियापुर पतैली के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वो वेश 0.62 एकड़ के बराबर है और जिसका खेसरा सं० (पूर्ण) 592 है।

तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

उत्तर :- सीमान लखनीपुर महेशपट्टी।

दक्षिण :- पूर्ण खेसरा सं० 605।


पूरब :- खेसरा सं० 593 एवं 594 पूर्ण।

पश्चिम :- पूर्ण खेसरा सं० 568

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला, लोहा स्लेट या अन्य खनिजों के खानों और खनिजों के नाम व काम जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है इसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ये किये जाएंगे।

यह अधिघोषणा अधिनियम 1, 1884 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन (तथा बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्सा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

  
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी  
समस्तीपुर।  
अपर समाहर्ता,  
समस्तीपुर।  
समाहर्ता,  
समस्तीपुर।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

—  
सरकार के अवर सचिव

( प. नं. ० )

ज्ञापांक २६२२/डी० एल० ए० समस्तीपुर पटना

दिनांक - 14-11-13

- प्रतिलिपि:- (1) निदेशक, सूचना जन सम्पर्क विभाग पटना को घोषणा के प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त प्रेस कतरन जिला भू-अर्जन कार्यालय समस्तीपुर को भेज दें।
- (2) समाहर्ता, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- (3) जिला गजट पदाधिकारी, समस्तीपुर को घोषणा के दो प्रारूप के साथ जिला गजट के अलगे असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी 5 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को तथा 5 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर को भी भेज दें।
- (4) आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
- (5) जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त।

✓  
14/11/13  
सरकार के अवर सचिव